संख्या बीमा-1365/दस-92-157/89

प्रेषक

श्री भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (बीमा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 11 अगस्त, 1992.

विषय :- "उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड" का गठन तथा उससे बीमारी एवं दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को सहायता ।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बीमा-3291/दस-56/1984, दिनांक 29 नवम्बर, 1984 के परिप्रेक्ष्य में शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें सरकारी सेवक द्वारा अपने जीवनकाल में "उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड" से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु आर्थिक सहायता की स्वीकृति जारी होने के पूर्व ही दुर्भाग्यवश उसका निधन हो गया । ऐसी दशा में यह जिज्ञासायें उत्पन्न हुईं कि फण्ड से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किसे किया जाय ।

2. उक्त सन्दर्भ में शासनादेश संख्या बीमा-3291/दस-56/1984 दिनांक 29 नवम्बर, 1984 में अन्तर्निहित भावना को और स्पष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेनीवोलेन्ट फण्ड से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु ऐसे सरकारी सेवक भी अर्ह होंगे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में इस निमित्त आवेदन-पत्र अग्रसारण हेतु अपने कार्यालय में यथाविधि प्रस्तुत कर दिया हो परन्तु प्रार्थना-पत्र पर निर्णय होने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गये हों । ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर भी नियमानुसार विचार किया

.......2/-

जायेगा । यदि फण्ड की प्रबन्ध समिति उसे अर्ह पाती है तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुति करती है तो देय धनराशि का भुगतान उन व्यक्ति / व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में बीमा धनराशि का भुगतान अनुमन्य होता, परन्तु यदि भुगतान प्राप्त करने के पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक की विधवा दूसरा विवाह कर लेती है तो भुगतान के समय वह सरकारी सेवक की विधवा नहीं रहेगी और भुगतान पाने की अधिकारी नहीं होगी ।

3. कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को उपरोक्त आदेशों से अवगत करा दें ।

भवदीय,

(भोला नाथ तिवारी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या बीमा-1365(1)/दस-92-157/89, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ;
(2) श्री राज्यपाल का सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ;
(3) विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ;
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ; तथा
(5) संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव ।